



प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 80/2025

दिनांक- 02.03.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक-02.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-दीदारगंज:- अप्राकृतिक संबंध बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दि 28.02.2025 को वादिनी के द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी के नाबालिग पुत्र को बहला फुसलाकर अभियुक्त सभाजीत पुत्र जनकधारी राजभर ग्राम रसांवा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अप्राकृतिक संबंध बनाया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 62/25 धारा 65(2), 351(2), बीएनएस व 5 m, 6 लैंगिक अपराध से बालकों का सरक्षण अधिनियम बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 02.03.2025 उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सभाजीत पुत्र जनकधारी राजभर ग्राम रसांवा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को कुशलगांव बाजार समय करीब 8.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 62/25 धारा 351(2) BNS व 5एम/6 पास्को एक्ट थाना दीदारगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सभाजीत राजभर पुत्र स्व0 जनकधारी राजभर ग्राम रसांवा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।

02.थाना-रानी की सराय:- छेड़खानी में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 23.02.2025 को वादिनी द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि अभियुक्त सुधाकर पुत्र रामदुलारे ग्रा0 कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला-फुसलाकर वादिनी के साथ छेड़खानी किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 47/25 धारा 354 भादवि बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 02.03.2025 को व0 उ0नि0 मय गोपालजी मय हमराह मुखबीर खास की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त इस सूचना पर तत्काल अभियुक्त सुधाकर पुत्र रामदुलारे निवासी कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को उसके घर से समय करीब 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

सुधाकर पुत्र रामदुलारे निवासी कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

मु.अ.स. 47/25 धारा 376/506 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़



03.थाना-जहानागंज:-छेडखानी में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 25.02.2025 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 16.02.2025 को अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया है जिसके तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 68/25 धारा 137(2), 87 BNS बनाम अभियुक्त रामप्रवेश यादव पुत्र रामरतन यादव निवासी कुतुबपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 02.03.2025 उ0नि0 आदित्य कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रामप्रवेश पुत्र रामरतन यादव निवासी (कुतुबपुर) बदनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को सेवटा मोड़ तिराहे से समय करीब 08.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0- 68/25 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

रामप्रवेश पुत्र रामरतन यादव निवासी (कुतुबपुर) बदनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष



04.थाना-गंभीरपुर:-गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 18.08.2023 को उ0नि0 मुरारी मिश्रा द्वारा दाखिला फर्द बरामदगी एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद पिकअप रजि0 नं.UP61BT0499 तथा एक अदद होन्डा WRV कार रजि0 नं.UP32JE9054 मय 03 राशी प्रतिबंधित पशु व गिरफ्तारी 03 नफर अभियुक्तों 1.इरशाद अहमद s/o इस्लाम नि.डांडा थाना कोपागंज (मऊ) 2. प्रवीन कुमार प्रजापति s/o बेचन प्रजापति नि.कुंडा शरीकपुर थाना मधुवन मऊ 3.खलीकुज्जमा उर्फ खालिक s/Oफैय्याज अहमद नि.अरैला (शंमोपुर)थाना रानीपुर जनपद मऊ के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 279/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 बनाम 1.इरशाद अहमद s/o इस्लाम नि.डांडा थाना कोपागंज (मऊ) बताया 2. प्रवीन कुमार प्रजापति s/o बेचन प्रजापति नि.कुंडा शरीकपुर थाना मधुवन मऊ 3.खलीकुज्जमा उर्फ खालिक s/O फैय्याज अहमद नि.अरैला (शंमोपुर)थाना रानीपुर जनपद मऊ 4.फैसल 5.छोटू पुत्रहण जुम्न निवासीगण गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ व मु0अ0सं0- 280 /2023 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट खलीकुज्जमा उर्फ खालिक s/Oफैय्याज अहमद नि.अरैला (शंमोपुर)थाना रानीपुर जनपद मऊ पंजीकृत हुआ था।

जिसके क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा लूट, हत्या, गोवध के आपराध में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध थानाध्यक्ष बसन्त लाल थाना गम्भीरपुर जनपद की रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान जिला अधिकारी आजमगढ़ महोदय द्वारा दिनांक 10.02.2025 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया तथा दिनांक 19.02.2025 को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष बसन्त लाल थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ की तहरीर पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 54/2025 धारा 2(ख)(XVII)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाजविरोधी क्रियाकलाप अधि.1986 बनाम 1.फैसल पुत्र जुम्न निवासी ग्राम गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2.छोटू पुत्र जुम्न निवासीगण गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 3.इरशाद अहमद पुत्र इस्लाम नि.डांडा थाना कोपागंज जनपद मऊ 4. प्रवीन कुमार प्रजापति पुत्र बेचन प्रजापति नि.कुंडा शरीकपुर थाना मधुवन जनपद मऊ 5.खलीकुज्जमा उर्फ खालिक पुत्र फैय्याज अहमद नि.अरैला (शंमोपुर)थाना रानीपुर जनपद मऊ पंजीकृत हुआ था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 02.03.2025 को थानाध्यक्ष बसन्त लाल मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1. इरशाद अहमद पुत्र इस्लाम नि. डांडा थाना कोपागंज जनपद मऊ 2. प्रवीन कुमार प्रजापति पुत्र बेचन प्रजापति नि.कुंडा शरीकपुर थाना मधुवन जनपद मऊ गैरी नट बस्त मोड़ से समय करीब 10.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

- 1.इरशाद अहमद पुत्र इस्लाम नि. डांडा थाना कोपागंज जनपद मऊ
2. प्रवीन कुमार प्रजापति पुत्र बेचन प्रजापति नि.कुंडा शरीकपुर थाना मधुवन जनपद मऊ

आपराधिक इतिहास:-

क्र0स0	मु0अ0सं0	धारानाम	थाना	जनपद
1	279/2023	3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0	गम्भीरपुर	आजमगढ़
2	280/2023	3/25 आर्म्स एक्ट	गम्भीरपुर	आजमगढ़
3	54/2025	2(ख)(XVII)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाजविरोधी क्रियाकलाप अधि.1986	गम्भीरपुर	आजमगढ़

